फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

वादी :– श्रीमती हगामी बाई   प्रतिवादी :– देवीलाल वगैरह

किस्म मुकदमा :– वाद   प्रकरण संख्या :– 80 / 22   सन् : 2022

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
	दिनांक : 04.03.2025 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता नरेश जणवा उपस्थित। प्रकरण लम्बे समय से प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 की तामील में नियत है। वादी अधिवक्ता को सम्मन प्रोसेस पेश करने हेतु दिनांक 30.09.2024, दिनांक 26.11.2024 एवं 12.02.2025 को अन्तिम अवसर दिए गए बावजूद रेस्पोडेंट तामील हेतु सम्मन प्रोसेस पेश नहीं किए गए तथा नहीं आज भी न्यायालय समय समाप्ति तक सम्मन प्रोसेस पेश नहीं किए गए है। जिससे जाहिर है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है तथा अपने वाद को आगे चलाना नहीं चाहकर वाद में आगे कोई कार्यवाही कराना नहीं चाहते है। अतः वादी का वाद सम्मन प्रोसेस पेश करने के कई अवसर दिए जाने के बावजूद पेश नहीं किए जाने से आदेश 9 नियम 5 के तहत इसी स्तर पर तामील के अभाव में खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर Sd/- (सोनिका कुमारी) IAS उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर	